सेण्डई रूपरेखा के अनुरूप विभागों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य

1. विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों व अन्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धित पक्षों का समावेश
2. विभागीय संसाधनों व संरचनाओं पर आसन्न खतरों का आंकलन तथा उक्त के निराकरण हेतु व्यवस्थायें
3. आपदा जोखिम को कम करने के लिये योजनाओं का विकास व क्रियान्वयन
4. भवन निर्माण, भू–उपयोग, मलबा निस्तारण हेतु नियमन
5. जोखिम हस्तान्तरण व आपदा सुरक्षा उपायों को प्रोत्साहन
6. सार्वजनिक सुविधाओं के संचालन के लिये आपदा सुरक्षा मानकों का अनुपालन अनिवार्य
7. विभागीय परिसम्पत्तियों/सुविधाओं का भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आईएस.) पर्यावरण में मानचित्रीकरण
8. आपदा चेतावनी तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा आपदा चेतावनी के प्रचार–प्रसार हेतु व्यवस्था
9. आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों व अनुभवों के आदान–प्रदान हेतु व्यवस्था
10. आपदा सम्बन्धित जन–जागरूकता पर बल तथा उक्त के लिये सोशल मीडिया का उपयोग
11. अन्तर्विभागीय समन्वयन की पुष्टि
12. शोध व शिक्षण संस्थानों की संलिप्तता
13. कार्मिकों का क्षमता विकास
14. परम्परागत जोखिम न्यूनीकरण उपायों का अभिलेखीकरण व प्रचार–प्रसार
15. आपदा सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण व प्रचार प्रसार
16. आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु योजनाओं व मानक प्रचालन कार्यविधियों का विकास
17. राज्य में कृषि और लघु उद्योग आधारित आजीविका प्रणालियों द्वारा आजीविका सम्बन्धित जोखिम से बचाव, स्थानान्तरण, साझाकरण और क्षतिपूर्ति के लिये नीतियाँ व उनका अनुपालन सुनिश्चित करना